

बिहार सरकार  
गन्ना उद्योग विभाग

पत्रांक-01/बजट-यो-38/2025-18 अक्टूबर  
प्रेषक,

पटना, दिनांक- 05 फरवरी, 2026

अनिल कुमार झा, भा.प्र.से.  
बिहार, पटना।

सेवा में,

ईख पदाधिकारी, रामनगर अंचल, बेतिया / बेतिया अंचल, बेतिया /  
गोपालगंज / मुजफ्फरपुर / समस्तीपुर / मोतिहारी / सीवान।

विषय : माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा प्रगति यात्रा में की गई घोषणा के आलोक में राज्य में गन्ना कृषकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु निर्गत विभागीय संकल्प संख्या-42 दिनांक-13.01.2025 के आलोक में ईख मूल्य की दर में 10 रु०/क्विंटल की दर में वृद्धि की स्वीकृति हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजना अन्तर्गत कुल स्वीकृत राशि मो० 70.00 (सत्तर) करोड़ रुपये के विरुद्ध मो० 29,44,07,423.00 (उनतीस करोड़ चौवालीस लाख सात हजार चार सौ तेईस) रुपये मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या-527 स्वी०/सी.सी. दिनांक-12.12.2025 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा प्रगति यात्रा में की गई घोषणा के आलोक में राज्य में गन्ना कृषकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु पेरार्ई सत्र 2024-25 से पूर्व से निर्धारित ईख मूल्य के दर में 10.00 (दस) रु० प्रति क्विंटल की दर से बढ़ोतरी किये जाने की स्वीकृति एवं वृद्धि के पश्चात् अन्तर राशि अनुमानित 70.00 (सत्तर) करोड़ रु० का एवं प्रतिवर्ष अनुमान के आधार पर वहन राज्य सरकार द्वारा किये जाने की स्वीकृति एवं इसके अधीन वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट उपबंध अन्तर्गत 70.00 (सत्तर) करोड़ रु० व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। पूर्व में विभागीय आवंटनादेश संख्या-15/बजट दिनांक-07.01.2026 द्वारा मो० 31,50,02,109.00 (इकतीस करोड़ पचास लाख दो हजार एक सौ नौ) रुपये का आवंटन किया जा चुका है। वर्तमान में योजना के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत राशि अन्तर्गत मो० 29,44,07,423.00 (उनतीस करोड़ चौवालीस लाख सात हजार चार सौ तेईस) रुपये मात्र का आवंटन किया जा रहा है तथा संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (संलग्न सूची परिशिष्ट-1) के अनुसार आवंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार से कर सकेंगे।

2. इस योजना के कार्यान्वयन के लिए कुल आवंटित राशि मो० 29,44,07,423.00 (उनतीस करोड़ चौवालीस लाख सात हजार चार सौ तेईस) रुपये मात्र की निकासी वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजनान्तर्गत मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग-उप मुख्य शीर्ष-08-उपभोक्ता उद्योग, लघु शीर्ष-201-चीनी मांग संख्या-45 उप शीर्ष-0103 आर्थिक सहायता विपत्र कोड-45-2852082010103 से विकलनीय होगा।
3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-235/वि० दिनांक-01.04.2025 के आलोक में आवंटित की जा रही है।
4. स्वीकृत्यादेश संख्या-527 स्वी०/सी.सी. दिनांक-12.12.2025 में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय जिसकी पूर्ण जबाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। ईखायुक्त, बिहार इसके सर्वोच्च नियंत्रित पदाधिकारी होंगे।
5. उक्त योजना अन्तर्गत व्यय की गयी राशि से संबंधित व्यय प्रतिवेदन संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा गन्ना उद्योग विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वाराभाजन

  
ईखायुक्त, बिहार।

क्रमशः.....2

(2)

ज्ञापांक-01/बजट-यो-38/2025-18वर्ष

पटना, दिनांक- 05 फरवरी, 2026

प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, बेतिया/ गोपालगंज/ मुजफ्फरपुर/ समस्तीपुर/ मोतिहारी/ सीवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


  
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-01/बजट-यो-38/2025-18वर्ष

पटना, दिनांक- 05 फरवरी, 2026

प्रतिलिपि-महालेखाकर, बिहार, पटना (विवरणी सहित)/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/उप निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग/अवर सचिव, गन्ना उद्योग विभाग/संयुक्त ईखायुक्त, बिहार पटना/सहायक ईखायुक्त, मुख्यालय/सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर/विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग/सभी ईख पदाधिकारी/सभी विशेष ईख पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई०टी० मैनेजर, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-01/बजट-यो-38/2025-18वर्ष

पटना, दिनांक- 05 फरवरी, 2026

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार के आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

  
ईखायुक्त, बिहार।

**परिशिष्ट-I**

स्वीकृत्यादेश संख्या-527 स्वी०/सी.सी. दिनांक-12.12.2025 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विपत्र कोड-45-2852082010103 अंतर्गत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उनके सामने आवंटित राशि तथा संबंधित कोषागार का नाम जिससे राशि की निकासी की जायेगी, की विवरणी।

क्र०	ईख पदाधिकारी-सह - निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	चीनी मिल का नाम	पूर्व आवंटित राशि (रूपये में)	वर्तमान आवंटित राशि (रूपये में)	कुल आवंटित राशि (रूपये में)	कोषागार का नाम जहाँ से राशि की निकासी की जायेगी
1	2	3	4	5	6	7
1	ईख पदाधिकारी, रामनगर अचल बेतिया, प० चम्पारण	निरुपान सुगर्स लि० चम्पारण	46862096.50	42175887.00	89037983.50	बेतिया प० चम्पारण
2		हरिनगर सुगर्स मिल लि० हरिनगर प० चम्पारण।	67826622.50	61043960.00	128870582.50	बेतिया, प० चम्पारण
3		न्यू स्वदेशी सुगर्स लि० चम्पारण।	50910199.50	45819180.00	96729379.50	बेतिया, प० चम्पारण
4	ईख पदाधिकारी बेतिया अचल बेतिया प० चम्पारण	मझालिया सुगर्स इण्डस्ट्रीज मझालिया प० चम्पारण।	27173959.00	24456563.00	51630522.00	बेतिया, प० चम्पारण
5		एच.पी.सी.एल. चम्पारण।	17170289.50	15453260.00	32623549.50	बेतिया, प० चम्पारण
6	ईख पदाधिकारी गोपालगंज	विष्णु सुगर्स मिल्स लि०, गोपालगंज	21887379.00	19698641.00	41586020.00	गोपालगंज
7		मगध सुगर्स एण्ड एनर्जी लि० इकाई-भारत सुगर्स मिल्स, प्रतापपुर, प्रतापपुर।	26481995.00	23833795.00	50315790.00	गोपालगंज
8	ईख पदाधिकारी मुजफ्फरपुर	रीगा सुगर्स कम्पनी लि०, रीगा, सीतामढी	3746084.00	16253916.00	20000000.00	मुजफ्फरपुर
9	ईख पदाधिकारी समस्तीपुर	मगध सुगर्स एण्ड एनर्जी लि०, इकाई-हसनपुर सुगर्स मिल्स, समस्तीपुर, समस्तीपुर।	30370000.00	27333000.00	57703000.00	समस्तीपुर
10	ईख पदाधिकारी मोतिहारी	एच.पी.सी.एल. चम्पारण।	19599134.00	17639221.00	37238355.00	मोतिहारी
11	ईख पदाधिकारी सीवान	बजाज हिन्दुस्तान लि० प्रतापपुर उत्तर प्रदेश	2974350.00	700000.00	3674350.00	सीवान
<b>कुल :-</b>			<b>31,50,02,109.00</b>	<b>29,44,07,423.00</b>	<b>60,94,09,532.00</b>	

(उनतीस करोड़ चौवालीस लाख सात हजार चार सौ तेईस) रुपये।

  
 ईखायुक्त, बिहार